

:- आदेश :-

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत, मृतक सरकारी कर्मचारी की आश्रित पत्नी श्रीमती कंचन द्वारा अभियोजन विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया था। स्व. श्री सुनील कुमार, अभियोजन अधिकारी, कार्यालय एसीएमएम, जोधपुर महानगर, जोधपुर में कार्यरत थे, जिनका स्वर्गवास राज्य सेवा के दौरान दिनांक 19.03.2024 को हुआ है। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 08.04.15, 02.01.2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अन्य वांछित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर पश्चात मृतक आश्रित श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री सुनील कुमार निवासी:- ग्राम/पोस्ट- आबुसर, जिला झुंझुनू की निवासी है, जिनकी जन्म तिथि 13.04.1992 (शब्दों में- तेरह अप्रैल उन्नसी सौ बानवे) है, की नियुक्ति राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत अभियोजन विभाग में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण पर अस्थाई आधार पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से राज्य सरकार द्वारा नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह की दर से निम्न शर्तों पर की जाती है:-

- 1 कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. 7(2)डी.ओ.पी./ए-आ/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017, एवं संशोधित दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पदाभिलाषी को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल संख्या -5 में नियम 16 (शिड्यूल-IV) के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 14600/- प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में वेतन वृद्धि का लाभ देय नहीं होगा। परिवीक्षा काल में कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में इन्हे कनिष्ठ सहायक के पद का नियमित वेतन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17 एवं संशोधित 9.12.2017 के अनुसार शिड्यूल-1 (पार्ट-बी) नियम-5(VI) एवं (VII) के अनुसार पे मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमित नियुक्ति की जाकर, न्यूनतम मूल वेतन Rs 20,800- पर वेतन निर्धारण किया जायेगा। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के पश्चात सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जावेगी।
- 2 यदि इनका कार्य परिवीक्षा अवधि में सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. एफ 7 (2)डी.ओ.पी./ए-आ/2005 जयपुर दिनांक 13.06.2008 के अनुसरण में इनकी सेवायें तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
- 3 कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12 (7) कार्मिक/क-2/14 जयपुर दिनांक 06.06.2018 के अनुसरण में आश्रित को कार्यग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित, कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करते समय तक, अर्थात् दोनों ही दशाओ मे, राज्य सरकार अथवा केन्द्र या अन्य राज्य सरकारो के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन सरकार सेवा नहीं है।
- 4 कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. 3(1)डी.ओ.पी./ए-आ/2013 दिनांक 02.06.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी के स्थाईकरण, परिवीक्षाकाल, वरिष्ठता एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5 दिनांक 01.04.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
- 6 राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम 5 के उप नियम 2 एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2001 के अन्तर्गत आश्रित परिवार के अन्य सभी सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करते रहेंगे और ऐसा नहीं होने पर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 7 परिवीक्षा अवधि में राज्य बीमा अंशदान की कटौति नहीं की जावेगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो के अनुसार ही परीक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियों की जा सकेगी।

8. परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को पूर्ण कलैण्डर वर्ष की अवधि में 15 आकस्मिक अवकाश देय होंगे, परन्तु एक वर्ष से कम की अवधि होने पर, प्रतिमाह अनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाशों की गणना की जाकर अवकाश देय होंगे।
9. ज्वाइनिंग पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, परन्तु स्थानान्तरण पर माईलेज (मील भत्ता) इन्सीडेण्टल चार्ज एवं यात्रा व्यय नियत पारिश्रमिक पर देय होगा।

| क्र. स. | मृतक राज्य कर्मचारी आश्रित का नाम व पिता का नाम | मृतक राज्य कर्म. का नाम पद/पदस्थापन स्थान | राज्य कर्म. के निधन की तिथि | अभ्यर्थी की जन्म तिथि | पदस्थापन कार्यालय |
|---------|--|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री सुनील कुमार (ओ.बी.सी) | स्व. श्री सुनील कुमार, अभियोजन अधिकारी, कार्यालय एसीएमएम, जोधपुर महानगर, जोधपुर | 19.03.2024 | 13.04.1992 | उप निदेशक अभियोजन, सीकर |

उपरोक्त पदाभिलाषी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त पद पर आदेश जारी होने की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार सम्भाल लें, अन्यथा यह समझा जावेगा कि वह राज्य सेवा में आने का इच्छुक नहीं है और उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
इनका पदस्थापन जिले में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन द्वारा किया जावेगा।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक अभियोजन, द्वितीय जयपुर।
3. **रजिस्टर्ड** - उप निदेशक अभियोजन, सीकर को भेजकर लेख है कि यदि आपके कार्यालय में पदस्थापित उक्त पदाभिलाषी निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करती है तो तत्पश्चात उसे कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावे, साथ ही बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त किया जाकर उपस्थिति सूचना के साथ संलग्न कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. **रजिस्टर्ड** - श्रीमती कंचन पत्नी स्व. श्री सुनील कुमार निवासी:- ग्राम/पोस्ट- आबुसर, जिला झुंझुनू को भेजकर लेख है कि आप छः सप्ताह की नियत अवधि तक कार्यग्रहण कर लें, कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा, ज्वाइनिंग टाइम में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावेगी।
5. गोपनीय शाखा/पदोन्नती शाखा अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर